



जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना  
जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

**आदेश**

संख्या 559-587 डी.आर.ओ/रिलीफ

दिनांक 01.05.2021

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना आदेश संख्या 180-207/डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 21/04/2021 तथा आदेश संख्या 282-310/डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 25/04/2021 की निरंतरता में दुकानों/मार्केट/व्यावसायिक संस्थानों के बंद होने व खुलने संबंधी नियम के अनुक्रम में यह आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाली दुकानों/मार्केट/व्यावसायिक संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त उनको न्यूनतम 07 दिनों के लिए पुलिस द्वारा सील कर दिया जाएगा।

— sd —

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं  
जिला दण्डाधिकारी, ऊना  
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना को अनुपालन हेतु।
4. समस्त उपमंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना को अनुपालन हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना को अनुपालन हेतु।
6. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना को अनुपालन हेतु।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना को अनुपालन हेतु।
8. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ऊना, मैहतपुर, संतोषगढ़, जिला ऊना को अनुपालन हेतु।
9. समस्त सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, दौलतपुर चौक, अम्ब, टाहलीवाल, जिला ऊना को अनुपालन हेतु।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना को व्यापक प्रचार हेतु।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना को अनुपालन हेतु।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं  
जिला दण्डाधिकारी, ऊना  
जिला ऊना, (हि.प्र.)।